

राजकीय आँद्याँगिक प, शिक्षाणा
संस्थान आँखालकाण्डा,
नँनीताल

मँनाँ अल - 04

संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी० जी० ई० टी०) नई दिल्ली द्वारा निर्देशित, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० वी० टी०) तथा राष्ट्रीय शिशिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों का पालन किया जाता है । यह मानक एन०सी०वी०टी० से मान्यता प्राप्त व्यवसायों के सम्बन्ध में भूमि, भवन, कर्मचारियों की संख्या, साज-सज्जा की आवश्यकता एवं विद्युत संयोजन आदि तथा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में हैं । इनके विस्तृत विवरण महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी० जी० ई० टी०) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रकाशित प्रशिक्षण नियमावली तथा विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रमों एवं भारत सरकार के शिशिक्षु अधिनियम 1961 में उपलब्ध हैं ।